TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 PBR / पुर्नस्थापन / रायसेन / भू–रा0 / 2018 / 1083

(110)

प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 22.2.18 नियत।

राजस्व मण्डल म.प्र.

सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 कमल सिंह
निवासी ग्राम मेढ़की, तहसील व
जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

——— आवेदक

विरूद्व

श्रीमती काशीबाई उर्फ कलावतीबाई
पत्नी श्री दौलत सिंह पुत्री श्री सीता
राम निवासी ग्राम खेजड़ा, तहसील
व जिला विदिशा मध्यप्रदेश

———अनावेदिका

आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा–35(3) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है कि–

1–यह कि, प्रकरण क्रमांक पीवीआर / निगरानी / रायसेन / भू–रा0 / 2017 / 4164 दिनांक 05.12.2017 को नियत था, परन्तु आवेदक अभिभाषक के यहां गमीं हो जाने के कारण वह उक्त दिनांक को रायसेन से आने वाले थे जो उपस्थित नहीं हो सके। जिस कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त हो गया।

2– यह कि, उक्त दिनांक में जो स्थानीय अभिभाषक नियुक्त किये थे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण वह दिनांक 05.12.2017 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। जब आवेदक अभिभाषक को ज्ञात हुआ कि प्रकरण अदम

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/ पुर्नस्थापन / रायसेन / भू.रा. / 2018/ 1083

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-2018	आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें पुर्नस्थापन आवेदन पत्र पर सुना गया । पुर्नस्थापन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है । मूल प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/4164 पुन: सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाये । पुर्नविलोकन प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	